(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष-- एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 254–दो/02 विरूद्ध आदेश, दिनाक 7--11--2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल सभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 215/95–96 अपील

1 महेशप्रसाद
2 सुरेश कुमार
3 रामकुमार
4 रामवीर
पुत्रगण श्री सियाराम
5 रामऔतार
6 सतीश कुमार
7 गिर्राज
पुत्रगण श्री गयाराम
8 सियाराम
9 गयाराम
पुत्रगण श्री जगमीन
10 हाकिम पुत्र श्री चित्र
सभी निवासीगण ग्राम कोटरा, तहसील जौरा
जिला मुरैना म0 प्र0
11 बाबूलाल पुत्र श्री करन सिंह
निवासी ग्राम गुजरना, तहसील जौरा जिला मुरैना म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 श्री बालमुकुन्द पु श्री माखनलाल
2 श्री रामहेत पुत्र पूरन
3 श्री संतोषीलाल पुत्र करन सिंह

4 श्री रामवती पुत्री श्री करन सिंह
निवासीगण ग्राम कोटरा, तहसीला जौरा
जिला मुरैना म0 प्र0

––––– अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 215/95–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–11–2001 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील जौरा के ग्राम कोटरा में स्थित विवादित भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण एवं अनावेदकगण है । ग्राम कोटरा की नामांतरण पंजी पर दर्ज प्रविष्टि कमांक 24 दिनांक 27–6–94 में पारित आदेश दिनांक 24–8–94 द्वारा नायब तहसीलदार जौरा द्वारा नामांतरण पंजी में ही कुर्रे बनाकर घरू बटवारा के आधार पर बंटवारा किया जाकर विवादित भूमि पर अनावेदकगण एवं आवेदकगण के मध्य नामांतरण स्वीकार किया गया । नायब तहसीलदार जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–94 से दुखी होकर अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–96 द्वारा अपील निरस्त की । अनावेदकगण द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 7–11–2001 द्वारा विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ आदेश पारित करने हेतु वापस किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4/ अनावेदक एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बटवारे/नामांतरण का है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष विधिसम्मत है कि नामांतरण और बटवारे के लिए पृथक–2 नियम तथा प्रावधान हैं और दोनों धाराओं में अंतर है तथा संहिता की धारा 178 के तहत बटवारा आदेश पारित करने के पहले सभी सहखातेदारों की सहमति आवश्यक है किंतु वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के कारण अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका आदेश उचित एवं न्यायिक है और उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर